Bill No.17 of 2021

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 98, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- In section 98 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (2) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

> "Provided that on resumption of land granted under sub-section (1), the revenue officer not below the rank of a Tehsildar finds that contravention of provisions of this section or rules made thereunder is of such nature that has rendered the land of no use except for residential purpose, he may, with the prior approval of the State Government, allot such land to the person to whom it has been granted, upon payment of premium therefor at the rate fixed under section 96 and on payment of penalty as may be prescribed.".

3. Amendment of section 261, Rajasthan Act No. 15 of 1956.- After the existing clause (xv) and before the existing clause

(xvi) of sub-section (2) of section 261 of the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(xv-a) prescribing under proviso to sub-section (2) of section 98, penalty to be paid by the person to whom the land has been granted and who is found guilty of contravention of the section;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There are provisions for granting land for receptacles of household refuse, etc. and for storing fodder under section 98 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. Under this section, subject to rules made by the State Government in this behalf, the Sub-Divisional Officer is empowered to grant land of such dimensions as may be prescribed in villages, towns or cities free of premium or rent to serve as receptacles for the household refuse, stable litter, cattle dropping and other rubbish and manure, and for storing fodder for cattle. The land so granted may be resumed under the orders of a revenue officer not below the rank of a Tehsildar, if and when, the person to whom it has been granted contravenes any of the provisions of this section or the rules made thereunder.

With passage of time and increase of population in villages and towns, it is found that land so granted for the purpose of receptacles are being used for residential purposes and pucca structures/residential houses have been erected on such land. If the land is resumed and the persons are dispossessed therefrom it will result in hardship for those persons.

Keeping in view the above problem, it has been decided that in case the land has been rendered of no use except for residential purpose, it may be allotted to the person to whom it has been granted, upon payment of premium therefor at the rate fixed under section 96 and on payment of penalty as may be prescribed. Therefore, the provisions of sections 98 and 261 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 are proposed to be amended accordingly.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हरीश चौधरी,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the penalty to be paid by the person to whom the land has been granted and who is found guilty of contravention of section 98.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

हरीश चौधरी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956

(Act No. 15 of 1956)

XX XX XX XX XX XX

98. Land granted for receptacles of household refuse, etc., and for storing fodder. – (1) xx xx xx

(2) The land granted under sub-section (1) may be resumed under the orders of a revenue officer not below the rank of a Tehsildar, if, and when, the person to whom it has been granted contravenes any of the provisions of this section or the rules made thereunder.

XX XX XX XX XX XX

2021 का विधेयक सं.17

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 98 का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 98 में,-

(i) उप-धारा (2) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

> "परन्तु उप-धारा (1) के अधीन अनुदत्त भूमि के पुनर्गृहीत किये जाने पर राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के पद का न हो, यह पाता है कि इस धारा या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन ऐसी प्रकृति का है जिससे कि वह भूमि, निवासीय प्रयोजन के सिवाय, अनुपयोगी हो गयी है तो वह, ऐसी भूमि को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, धारा 96 के अधीन उसके लिए नियत की गयी दर

पर प्रीमियम का संदाय किये जाने पर और शास्ति, जो विहित की जाये, का संदाय किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसे यह अनुदत्त की गयी है, आबंटित कर सकेगा।"।

3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 261 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 261 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड [15] के पश्चात् और विद्यमान खण्ड [16] से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"[15-क] धारा 98 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन, व्यक्ति जिसे भूमि अनुदत्त की गयी है और जिसे उस धारा के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, द्वारा संदत्त की जाने वाली शास्ति विहित करने के लिए;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के अधीन घर का कूड़ा कचरा इत्यादि डालने और चारे के संग्रह के लिए भूमि अनुदत्त करने हेतु उपबंध हैं। इस धारा के अधीन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, उप-खण्ड अधिकारी, घर का कूड़ा कचरा, अश्वशाला का मल, पशुओं का मल-मूत्र और अन्य कूड़ा करकट और खाद डालने के स्थान के रूप में और पशुओं के चारे के संग्रह के लिए काम में आने हेतु गांवों, कस्बों और नगरों में बिना किसी प्रीमियम या किराये के ऐसे परिमाण में, जो विहित किया जाये, भूमि अनुदत्त करने के लिए सशक्त है। इस प्रकार अनुदत्त की गयी भूमि किसी राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के पद का न हो, के आदेश से पुनर्गृहीत की जा सकेगी, यदि वह व्यक्ति, जिसे यह अनुदत्त की गयी है, कभी इस धारा या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करे।

समय के साथ तथा गांवों और कस्बों में जनसंख्या वृद्धि के कारण यह पाया गया है कि कूड़ा कचरा डालने के प्रयोजन के लिए इस प्रकार अनुदत्त की गयी भूमि का निवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और ऐसी भूमि पर पक्के ढांचों/निवास गृहों का निर्माण कर लिया गया है। यदि ऐसी भूमि पुनर्गृहीत कर ली जाती है और वहां से व्यक्तियों को बेकब्जा कर दिया जाता है तो इससे उन व्यक्तियों को कठिनाई होगी।

उपर्युक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि यदि भूमि, निवासीय प्रयोजन के सिवाय, अनुपयोगी हो गयी है तो ऐसी भूमि को, धारा 96 के अधीन उसके लिए नियत की गयी दर पर प्रीमियम का संदाय किये जाने पर और शास्ति, जो विहित की जाये, का संदाय किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसे यह अनुदत्त की गयी है, आबंटित किया जा सकेगा। इसलिए, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 और 261 के उपबंधों को तदनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अत: विधेयक प्रस्तुत है।

हरीश चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, ऐसे व्यक्ति, जिसे भूमि अनुदत्त की गयी है और जिसे धारा 98 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, द्वारा संदत्त की जाने वाली शास्ति विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

हरीश चौधरी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

98. घर का कूड़ा कचरा इत्यादि डालने और चारे के संग्रह के लिये अनुदत्त भूमि.- (1) XX XX XX XX

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त भूमि किसी राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के पद का न हो, के आदेश से पुनर्गृहीत की जा सकेगी यदि वह व्यक्ति, जिसे यह अनुदत्त की गई है, कभी इस धारा या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करे।

XX XX XX XX XX

2021 का विधेयक सं. 17

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(हरीश चौधरी, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 17 of 2021

THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2021

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

(Harish Chaudhary, **Minister-Incharge**)